



कार्यालय सचिवालय

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

International Council of Religions

वेबसाइट: www.icr-int.org

Ref No.: - ICR/2025/68291

Dated: - 01/11/2025

अधिसूचना

विषय: परिषद के शाश्वत मार्गदर्शक दर्शन 'धर्म अनेक, उद्देश्य एक: मानव कल्याण की सार्वभौमिक अवधारणा' (Many Faiths, One Purpose: Universal Human Welfare Doctrine) का आधिकारिक विधिक विमोचन, वैचारिक अंगीकरण, वैश्विक नीतिगत घोषणा तथा समस्त संबद्ध संस्थाओं में क्रियान्वयन विधिक आदेश।

अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद के संविधान के अनुच्छेद 1 (मूल दर्शन एवं अधिदेश), अनुच्छेद 4 (सार्वभौमिक आध्यात्मिक एकात्मता), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा (UDHR) के मूलभूत सिद्धांतों तथा शासी निकाय (Governing Council) एवं 'विश्व सर्वधर्म महासम्मेलन 2025' के संयुक्त संस्तुति संकल्प संख्या MD-37/2025 के अनुसरण में, विश्व के समस्त धर्मों, पंथों एवं आध्यात्मिक धाराओं के साझा मानवीय सार-तत्व को प्रतिपादित करने वाले सार्वभौमिक नीति-सिद्धांत 'धर्म अनेक, उद्देश्य एक: मानव कल्याण की सार्वभौमिक अवधारणा' को एतद्वारा विधिक रूप से प्रख्यापित, विमोचित एवं वैश्विक स्तर पर अधिसूचित किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं विधिक अधिदेश

- 1.1 यह अधिसूचना 'अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद (धर्म अनेक, उद्देश्य एक - सार्वभौमिक मानव कल्याण) अधिसूचना, 2025' कही जाएगी।
- 1.2 यह विधिक सिद्धांत एवं वैचारिक रूपरेखा परिषद के समस्त 162 सदस्य देशों, राष्ट्रीय चैप्टर्स, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक न्यासों एवं शांति दूतों पर तत्काल प्रभाव से स्थायी मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लागू होगी।
- 1.3 इस अधिसूचना का मुख्य अधिदेश धर्म को संकीर्ण विभाजनों, कट्टरता एवं विवादों से मुक्त कराकर विशुद्ध रूप से 'मानव सेवा, करुणा एवं वैश्विक कल्याण' के साझा साधन के रूप में पुनर्स्थापित करना है।

2. 'धर्म अनेक, उद्देश्य एक' का दार्शनिक एवं वैचारिक अधिष्ठान

परिषद यह दृढ़ता से स्वीकार करती है कि विश्व के विभिन्न धर्म वस्तुतः एक ही परम सत्य, प्रेम और करुणा तक पहुंचने के विभिन्न सांस्कृतिक व भौगोलिक मार्ग हैं:

सनातन धर्म परंपरा का साक्ष्य:

- 'एकं सद्भिप्रा बहुधा वदन्ति' – सत्य एक ही है, जिसे ज्ञानी जन भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं। धर्म का चरम लक्ष्य 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' है।

इस्लाम धर्म दर्शन का साक्ष्य:

- 'रहमतुल लिल आलमीन' एवं 'खल्क-ए-खुदा की खिदमत' – ईश्वर की सृष्टि की सेवा ही सच्ची इबादत है। पवित्र कुरआन के अनुसार किसी एक निर्दोष मनुष्य की जान बचाना संपूर्ण मानवता को जीवनदान देने के समान है।

ईसाई धर्म परंपरा का साक्ष्य:

- 'अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो' (Love Thy Neighbour) – ईसा मसीह का संपूर्ण संदेश पीड़ितों, दीन-दुखियों एवं वंचितों की निःस्वार्थ सेवा तथा क्षमा पर आधारित है।

सिख धर्म परंपरा का साक्ष्य:

- 'अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपज्या कौन भले को मंदे' – गुरु नानक देव जी की वाणी समस्त मानवता को एक ही प्रकाश से उत्पन्न मानती है और 'सरबत दा भला' का संदेश देती है।

बौद्ध एवं जैन धर्म परंपरा का साक्ष्य:

- 'अहिंसा, मैत्री एवं करुणा' तथा 'परस्परप्रेमो जीवानाम्' – समस्त प्राणियों के प्रति आत्मवत् व्यवहार करना, दुखियों के दुखों का निवारण करना ही धर्म का मूल स्वरूप है।

3. सार्वभौमिक मानव कल्याण के पंच-महास्तंभ

इस अवधारणा को व्यावहारिक रूप देने हेतु समस्त संबद्ध निकायों को निम्नलिखित पांच सार्वभौमिक कल्याणकारी स्तंभों पर कार्य करना अनिवार्य होगा:

स्तंभ 1: साझा आरोग्य एवं पोषण सेवा

- किसी भी मानव को भूख, कुपोषण अथवा उपचार के अभाव में कष्ट न सहना पड़े। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च मिलकर 'सर्वधर्म साझा लंगर एवं निःशुल्क औषधालय' संचालित करेंगे।

स्तंभ 2: सार्वभौमिक शिक्षा एवं संस्कार संवर्धन

- प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्य, मानवीय गरिमा एवं सह-अस्तित्व की शिक्षा सुनिश्चित करना।

स्तंभ 3: पर्यावरण संरक्षण एवं जीव-दया

- प्रकृति को ईश्वरीय उपहार मानकर जलस्रोतों, वनों एवं समस्त मूक प्राणियों की सुरक्षा हेतु संयुक्त हरित पहल चलाना।

स्तंभ 4: सामाजिक समरसता एवं अंत्योदय

- समाज के अंतिम पायदान पर खड़े उपेक्षित, दिव्यांग, वृद्ध एवं निराश्रित व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन एवं सुरक्षा प्रदान करना।

स्तंभ 5: मानसिक शांति एवं आंतरिक रूपांतरण

- आधुनिक समाज में बढ़ते अवसाद, तनाव एवं हिंसा के निवारण हेतु सामूहिक ध्यान, योग एवं प्रार्थना सत्रों का आयोजन करना।

4. संस्थागत आचार संहिता एवं विधिक प्रतिबंध

- 4.1 धर्म का व्यापारीकरण व राजनीतिकरण निषेध: किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा धर्म के नाम पर नफरत, अंधविश्वास, शोषण अथवा राजनीतिक विभाजनकारी एजेंडा चलाना परिषद की नियमावली के तहत पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय होगा।
- 4.2 सेवा में गैर-भेदभावपूर्ण नीति: धार्मिक ट्रस्टों द्वारा संचालित किसी भी चिकित्सालय, विद्यालय, धर्मशाला अथवा राहत केंद्र में सेवा प्राप्तकर्ता के धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- 4.3 'एकता संवाद दिवस': प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को समस्त संबद्ध उपासना स्थलों पर 'सर्वधर्म मानव कल्याण प्रार्थना' का आयोजन किया जाएगा।

5. वैश्विक क्रियान्वयन एवं निगरानी प्रकोष्ठ

इस सार्वभौमिक दर्शन के वैश्विक प्रसार एवं अनुपालन हेतु 'केंद्रीय मानव कल्याण समन्वय प्रकोष्ठ' (Central Human Welfare Mission) का गठन किया जाता है, जिसके संरक्षक स्वामी विवेकानंद भारती तथा मुख्य संयोजक डॉ. गुरुबचन सिंह बेदी होंगे।

भवदीय,



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद

दिनांक: 01/11/2025



अधिकृत प्रतिनिधि/विधि प्रकोष्ठ
अंतरराष्ट्रीय सर्वधर्म परिषद